

ऑन लाईन नं. GCMS 2025/184
न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 50/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स-खालसा स्टोर, 25 डी ब्लॉक, निवासी 25 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/58

निर्णय

दिनांक: 16.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिरया/गुप-3/ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक-आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.09.2025 को समय शाम 04305 बजे को मैसर्स-खालसा स्टोर, 25 डी ब्लॉक, निवासी 25 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह को अपना परिचय दे कर संस्थान के अंदर एक खुले कट्टे में रखे खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(खुला) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(खुला) 20 किलोग्राम लगभग को आमजन के बेचान हेतु होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(खुला) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(खुला) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुए वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5 ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मौके पर संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(खुला) में से 02 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(खुला) का नगद भुगतान 440 रुपये किया तथा केशमीमो वनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(खुला) 02 किलो के बराबर भागों में वांटकर साफ-सुथरे व सूखे 4 डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन को

2
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

कसकर बंद किया। 4 डिब्बों पर लेवल तैयार कर चिपकाए और लेवलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-3037 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-3037 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./1268/Act/2025/1268 Dated 08-10-2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-3037 Contravenes the Regulation Food होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स-खालसा स्टोर, 25 डी ब्लॉक, निवासी 25 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का हल्दी पाउडर(खुला) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.12.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मकान नम्बर 25 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर रहने वाला है तथा प्रार्थी फर्म मैसर्स खालसा स्टोर, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 2255/25 दिनांक 23.12.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में हल्दी पाउडर की जांच की गई तो हल्दी पाउडर **Contravenes of Regulation No.2.3.14 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 as sold in loose condition** पाया गया है प्रार्थी ने उक्त हल्दी पाउडर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण सं० 50/2025 है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर



लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया हल्दी पाउडर(खुला) का सैम्पल K-3037 स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक- L.S./1268/Act/2025/1268 Dated 08-10-2025 **Contravenes of Regulation No.2.3.14 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 as sold in loose condition** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Haldi Powder" bearing Code No and Sr. No. K-3037, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Contravenes of Regulation No.2.3.14 of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 as sold in loose condition**.की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स-खालसा स्टोर, 25 डी ब्लॉक, निवासी 25 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त श्री मनवीर सिंह पुत्र श्री दविन्द्र पाल सिंह (विक्रेता व मालिक), मैसर्स-खालसा स्टोर, 25 डी ब्लॉक, निवासी 25 डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर को राशि रुपये 10,000-00 (अखरे रुपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



2
(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगंगानगर